

सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता की योजना-वार स्थिति

(मिलियन हैक्टर में)

योजना		सृजित					प्रयुक्त क्षमता				
		वृहद और मध्यम	लघु			योग	वृहद और मध्यम	लघु			योग
			सज	भूज	योग			सज	भूज	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1951 तक (योजना-पूर्व)	संचयी	9.70	6.4 0	6.5 0	12. 90	22.6 0	9.70	6.4 0	6.5 0	12. 90	22.6 0
पहली योजना (1951-56)	के दौरान	2.50	0.0 3	1.1 3	1.1 6	3.66	1.28	0.0 3	1.1 3	1.1 6	2.44
	संचयी	12.20	6.4 3	7.6 3	14. 06	26.2 6	10.98	6.4 3	7.6 3	14. 06	25.0 4
दूसरी योजना (1956-61)	के दौरान	2.13	0.0 2	0.6 7	0.6 9	2.82	2.07	0.0 2	0.6 7	0.6 9	2.76
	संचयी	14.33	6.4 5	8.3 0	14. 75	29.0 8	13.05	6.4 5	8.3 0	14. 75	27.8 0
तीसरी योजना (1961-66)	के दौरान	2.24	0.0 3	2.2 2	2.2 5	4.49	2.12	0.0 3	2.2 2	2.2 5	4.37
	संचयी	16.57	6.4 8	10. 52	17. 00	33.5 7	15.17	6.4 8	10. 52	17. 00	32.1 7
वार्षिक योजनाएं (1966-69)	के दौरान	1.53	0.0 2	1.9 8	2.0 0	3.53	1.58	0.0 2	1.9 8	2.0 0	3.58
	संचयी	18.10	6.5 0	12. 50	19. 00	37.1 0	16.75	6.5 0	12. 50	19. 00	35.7 5
चौथी योजना (1969-74)	के दौरान	2.60	0.5 0	4.0 0	4.5 0	7.10	1.64	0.5 0	4.0 0	4.5 0	6.14

	संचयी	20.70	7.0 0	16. 50	23. 50	44.2 0	18.39	7.0 0	16. 50	23. 50	41.8 9
पांचवीं योजना (1974-78)	के दौरान	4.02	0.5 0	3.3 0	3.8 0	7.82	2.77	0.5 0	3.3 0	3.8 0	6.57
	संचयी	24.72	7.5 0	19. 80	27. 30	52.0 2	21.16	7.5 0	19. 80	27. 30	48.4 6
वार्षिक योजनाएं (1978-80)	के दौरान	1.89	0.5 0	2.2 0	2.7 0	4.59	1.48	0.5 0	2.2 0	2.7 0	4.18
	संचयी	26.61	8.0 0	22. 00	30. 00	56.6 1	22.64	8.0 0	22. 00	30. 00	52.6 4
छठी योजना (1980-85)	के दौरान	1.09	1.7 0	5.8 2	7.5 2	8.61	0.93	1.0 1	4.2 4	5.2 5	6.18
	संचयी	27.70	9.7 0	27. 82	37. 52	65.2 2	23.57	9.0 1	26. 24	35. 25	58.8 2
सातवीं योजना (1985-90)	के दौरान	2.22	1.2 9	7.8 0	9.0 9	11.3 1	1.90	0.9 6	6.9 1	7.8 7	9.77
	संचयी	29.92	10. 99	35. 62	46. 61	76.5 3	25.47	9.9 7	33. 15	43. 12	68.5 9
वार्षिक योजनाएं (1990-92)	के दौरान	0.82	0.4 7	3.2 7	3.7 4	4.56	0.85	0.3 2	3.1 0	3.4 2	4.27
	संचयी	30.74	11. 46	38. 89	50. 35	81.0 9	26.31	10. 29	36. 25	46. 54	72.8 5
आठवीं योजना (1992-97)	के दौरान	2.21	1.0 5	1.9 1	2.9 6	5.17	2.13	0.7 8	1.4 5	2.2 3	4.36
	संचयी	32.95	12. 51	40. 80	53. 31	86.2 6	28.44	11. 07	36. 76	47. 83	76.2 7

नौवीं योजना (1997-200 2	के दौरान	4.10	3.5 9	3.5 9	7.69	2.57	1.2 2	1.2 2	3.79
	संचयी	37.05	16. 10	56. 90	93.9 5	31.01	18. 04	49. 05	80.0 6

सज: सतही जल

भूज: भूजल

नौवीं योजना के अन्त तक वृहत, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं से यूआईपी, आईपीसी और आईपीयू

		(000 हेक्टेयर में)								
क्रम संख्या	राज्य का नाम	Ultimate Irrigation Potential (यूआईपी)			Irrigation Potential Created (आईपीसी)			Irrigation Potential Utilised (आईपीयू)		
		वृहद और मध्यम	मध्यम	जोड़	वृहद और मध्यम	मध्यम	जोड़	वृहद और मध्यम	मध्यम	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	आन्ध्र प्रदेश	5,000.00	6,260.00	11,260.00	3,303.22	3,019.46	6,322.68	3,051.59	2,781.22	5,832.81
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	168.00	168.00	0.00	99.52	99.52	0.00	77.40	77.40
3	असम	970.00	1,900.00	2,870.00	243.92	603.62	847.54	174.37	494.11	668.48
4	बिहार	5,223.50	5,663.50	10,887.00	2,680.00	4,716.44	7,396.44	1,714.83	3,759.46	5,474.29
5	छत्तीसगढ़	1,146.93	571.00	1,717.93	922.50	487.70	1,410.20	760.74	322.86	1,083.60
6	गोआ	62.00	54.00	116.00	21.17	19.14	40.31	15.33	20.00	35.33
7	गुजरात	3,000.00	3,103.00	6,103.00	1,430.37	1,998.92	3,429.29	1,300.83	1,876.14	3,176.97
8	हरियाणा	3,000.00	1,512.00	4,512.00	2,099.49	1,630.95	3,730.44	1,849.97	1,578.12	3,428.09
9	हिमाचल प्रदेश	50.00	303.00	353.00	13.35	161.00	174.35	7.51	138.30	145.81
10	झारखण्ड	1,276.50	1,183.50	2,460.00	354.47	588.87	943.34	230.45	471.09	701.54
11	जम्मू और कश्मीर	250.00	1,108.00	1,358.00	179.69	382.45	562.14	168.75	366.77	535.52
12	कर्नाटक	2,500.00	3,474.00	5,974.00	2,121.12	1,585.40	3,706.52	1,844.82	1,541.74	3,386.56
13	केरल	1,000.00	1,679.00	2,679.00	609.49	640.02	1,249.51	558.87	603.76	1,162.63
14	मध्य प्रदेश	4,853.07	11,361.00	16,214.07	1,386.90	2,256.13	3,643.03	875.63	2,149.48	3,025.11
15	मिजोरम	0.00	70.00	70.00	0.00	16.69	16.69	0.00	14.08	14.08
16	महाराष्ट्र	4,100.00	4,852.00	8,952.00	3,239.00	2,942.60	6,181.60	2,147.24	2,557.72	4,704.96
17	मणिपुर	135.00	469.00	604.00	156.00	75.49	231.49	111.00	62.34	173.34
18	मेघालय	20.00	148.00	168.00	0.00	50.97	50.97	0.00	47.31	47.31
19	नागालैण्ड	10.00	75.00	85.00	0.00	76.56	76.56	0.00	65.63	65.63
20	उड़ीसा	3,600.00	5,203.00	8,803.00	1,826.56	1,474.12	3,300.68	1,794.17	1,337.55	3,131.72
21	पंजाब	3,000.00	2,967.00	5,967.00	2,542.48	3,427.56	5,970.04	2,485.99	3,367.82	5,853.81
22	राजस्थान	2,750.00	2,378.00	5,128.00	2,482.15	2,447.10	4,929.25	2,313.87	2,361.80	4,675.67
23	सिक्किम	20.00	50.00	70.00	0.00	29.67	29.67	0.00	23.61	23.61
24	तमिलनाडु	1,500.00	4,032.00	5,532.00	1,549.31	2,123.38	3,672.69	1,549.29	2,119.52	3,668.81
25	त्रिपुरा	100.00	181.00	281.00	4.90	109.65	114.55	4.50	96.09	100.59
26	उत्तर प्रदेश	12,154.00	17,481.00	29,635.00	7,910.09	21,599.40	29,509.49	6,334.00	17,279.62	23,613.62
27	उत्तरांचल	346.00	518.00	864.00	280.30	500.98	781.28	185.41	400.80	586.21
28	पश्चिम बंगाल	2,300.00	4,618.00	6,918.00	1,683.29	3,792.52	5,475.81	1,527.12	3,098.12	4,625.24
	कुल राज्य	58,367.00	81,382.00	139,749.00	37,039.77	56,856.31	93,896.08	31,006.28	49,012.46	80,018.74
	कुल संघशासित राज्य	98.00	46.00	144.00	6.51	43.71	50.22	3.94	35.41	39.35
	कुल योग	58,465.00	81,428.00	139,893.00	37,046.28	56,900.02	93,946.30	31,010.22	49,047.87	80,058.09

दसवीं योजना के लिए संशोधित परिव्यय: जल संसाधन मंत्रालय
तथा इसके संगठनों की केन्द्रीय योजनागत स्कीमें

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	क्षेत्र/संगठन/स्कीम का नाम	दसवीं योजना आबंटन		
		योजना आयोग द्वारा मूलतः अनुमोदित	योजना आयोग द्वारा मानदण्ड में अनुमोदित संशोधित आबंटन	वृद्धि/कमी कालम (4)-कालम (3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	सचिवालय तथा आर्थिक सेवाएं			
	नौवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमें			
1.	जल-विज्ञान परियोजना	0.97	0.97	0.00
2.	आई टी विकास	3.00	3.00	0.00
	सचिवालय तथा आर्थिक सेवाएं जारी	3.97	3.97	0.00
	दसवीं योजना की नई स्कीमें			
3.	जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण	5.00	3.50	-1.50
	योग-सचिवालय तथा आर्थिक सेवाएं	8.97	7.47	-1.50
	वृहद तथा मध्यम सिंचाई			
	सीडब्ल्यूसी			
	नौवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमें			
4.	राष्ट्रीय जल अकादमी	10.00	10.00	0.00

5.	बर्फ जल-विज्ञान	2.00	2.00	0.00
6.	बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं	3.00	0.43	-2.57
7.	भारत में नदियों की जल-गुणवत्ता की मानीटरी	10.50	7.50	-3.00
8.	भूटान से निकलने वाली नदियों का जल वैज्ञानिक प्रेक्षण	1.50	1.50	0.00
9.	मानीटरी संगठन का सुदृढीकरण	19.00	19.00	0.00
10.	सिंधु बेसिन में किरथई और अन्य बहुदेशीय परियोजनाएं	7.00	7.00	0.00
11.	प्रमुख जल-वैज्ञानिक केन्द्रों से आंकड़ा संग्रह	40.00	40.00	0.00
12.	जलाशय सादन, नदी आकारिकी तथा अन्य सुदूर संवेदी अनुप्रयोगों पर अध्ययन	14.00	14.00	0.00
13.	आर एण्ड डी: अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन तथा जल जागरूकता क्रियाकलाप	32.00	32.00	0.00
14.	कम्प्यूटरीकरण/सूचना प्रणाली को अद्यतन बनाना और उसका आधुनिकीकरण	12.00	8.00	-4.00
15.	पूर्वोत्तर राज्यों में जल संसाधन विकास के लिए जांच	4.00	5.28	1.28
	सीडब्ल्यूसी जारी	155.00	146.71	-8.29
	दसवीं योजना की नई स्कीमें			
16.	बांध सुरक्षा और पुनर्वास के सम्बन्ध में सीडब्ल्यूसी में सुविधाओं और कौशलों का उन्नयन	8.00	8.00	0.00
17.	एच.ई. डिजाइन, पम्प द्वारा भण्डारण तथा इन्स्ट्रुमेंटेशन	3.00	3.00	0.00
	सीडब्ल्यूसी-नई	11.00	11.00	0.00
	योग-सीडब्ल्यूसी	166.00	157.71	-8.29
	सीएसएमआरएस			
	नौवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमें			

18.	नदी-घाटी परियोजनाओं के लिए भू-तकनीकी जांच	22.00	16.00	-6.00
19.	संरचनाओं में अनुप्रयुक्त/बुनियादी अनुसंधान	6.00	6.00	0.00
20.	उन्नत अनुसंधान और परामर्श	4.00	4.00	0.00
21.	प्रयोगशाला और क्षेत्र परीक्षण सुविधाओं का स्तरोन्नयन	6.00	6.00	0.00
	सीएसएमआरएस-जारी	38.00	32.00	-6.00
	योग-सीएसएमआरएस	38.00	32.00	-6.00
	सीडब्ल्यूपीआरएस			
	नौवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमें			
22.	तलछट निपटान अनुसंधान	0.05	0.08	0.03
23.	जल और विद्युत आपूर्ति का संवर्धन	0.05	0.24	0.19
24.	जल विज्ञान परियोजना	1.00	1.35	0.35
25.	स्टाफ कालोनी-चरण III	0.30	0.51	0.21
26.	आरएस तकनीकों, अपतट डाटा, मृदा विज्ञान प्रयोगशाला आदि	4.00	3.77	-0.23
27.	सीडब्ल्यूपीआरएस में आईटी क्रियाकलाप	1.48	1.18	-0.30
	सीडब्ल्यूपीआरएस-जारी	6.88	7.13	0.25
	दसवीं योजना की नई स्कीमें			
28.	सीडब्ल्यूपीआरएस में अनुसंधान सुविधाओं को अद्यतन बनाना तथा उनका आधुनिकीकरण	20.00	20.00	0.00
29.	आधुनिक तकनीकों और प्रौद्योगिकी के जरिए सुधार नहर नियंत्रण	1.00	1.00	0.00
	सीडब्ल्यूपीआरएस-नई	21.00	21.00	0.00
	योग-सीडब्ल्यूपीआरएस	27.88	28.13	0.25

	एनआईएच			
	नौवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमें			
30.	एनआईएच और आईएनसीओएच को जारी रखना और उन्हें सुदृढ़ बनाना	15.00	13.00	-2.00
31.	बाढ़ प्रबन्ध और सूखा रोधी अध्ययनों के लिए केन्द्रों सहित एनआईएच केन्द्रों को जारी रखना और उन्हें सुदृढ़ बनाना	10.00	7.77	-2.23
32.	जल-विज्ञान परियोजना	0.55	1.03	0.48
	एनआईएच-जारी	25.55	21.80	-3.75
	योग-एनआईएच	25.55	21.80	-3.75
	एनडब्ल्यूडीए			
	नौवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमें			
33.	जल के अन्तर्बसिन अन्तरण का व्यवहार्यता अध्ययन	85.00	85.00	0.00
	एनडब्ल्यूडीए-जारी	85.00	85.00	0.00
	योग-एनडब्ल्यूडीए	85.00	85.00	0.00
	आरपीएनएन			
	नौवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमें			
34.	योजना निवेश (एनपीसीसी को ऋण)	0.00	0.00	0.00
	आरपीएनएन-जारी	0.00	0.00	0.00
	योग-वृहद और मध्यम	342.43	324.64	-17.79
	लघु सिंचाई			
	एमआई-स्कन्ध			
	नौवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमें			

35.	लघु सिंचाई सांख्यिकीय का युक्तिकरण	40.00	40.00	0.00
	एमआई स्कन्ध—जारी	40.00	40.00	0.00
	योग—एमआई स्कन्ध	40.00	40.00	0.00
	सीजीडब्ल्यूबी			
	नौवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमें			
36.	जीडब्ल्यू सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा जांच	277.00	277.00	0.00
37.	सीजीडब्ल्यूए	5.00	5.00	0.00
38.	भूमि और भवन का अभिग्रहण	20.00	20.00	0.00
39.	भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण	150.00	142.00	-8.00
40.	राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटी तथा आरआई	10.00	5.00	-5.00
41.	भूजल तथा सतही जल का संयुक्त प्रयोग	2.00	2.00	0.00
42.	जल विज्ञान परियोजना	7.80	18.57	10.77
43.	सीजीडब्ल्यूबी की आर एण्ड डी स्कीमें	2.00	2.00	0.00
	सीजीडब्ल्यूबी—जारी	473.80	471.57	-2.23
	दसवीं योजना की नई स्कीमें			
44.	भूजल संसाधनों का विकास तथा बड़े शहरों में वर्षा का पानी जमा रखना	20.00	0.00	-20.00
	सीजीडब्ल्यूबी—नया	20.00	0.00	-20.00
	योग—सीजीडब्ल्यूबी	493.80	471.57	-22.23
	योग—एमआई	533.80	511.57	-22.23
	सीएडी स्कन्ध			

नौवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमें				
45.	कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबन्ध कार्यक्रम	1401.80	1208.00	-193.80
46.	सीएडी के अधीन आर एण्ड डी स्कीमें	5.00	5.00	0.00
	सीएडी-जारी	1406.80	1213.00	-193.80
	योग-सीएडी	1406.80	1213.00	-193.80
	बाढ़ नियंत्रण			
	ईआर स्कन्ध			
नौवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमें				
47.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सहायता अनुदान	102.00	102.00	0.00
48.	जीएफसीसी	15.00	13.61	-1.39
49.	पगलादिया बांध परियोजना	250.00	557.41	307.41
50.	ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण	150.00	150.00	0.00
51.	बांग्लादेश और पड़ोसी देशों की साझा नदियों पर साझा प्रेक्षण	13.00	7.90	-5.10
52.	कोसी उच्च बांध का सर्वेक्षण और जांच	30.00	30.00	0.00
53.	बाढ़ रोधी कार्यक्रम	20.00	8.00	-12.00
54.	कोसी और गण्डक के बाढ़ सुरक्षा कार्यों का अनुरक्षण	35.00	35.00	0.00
55.	गंगा राज्यों में गंभीर कटाव-रोधी कार्य	192.00	192.00	0.00
56.	पंचेश्वर परियोजना	15.00	15.00	0.00
57.	हर्रांग जल निकास स्कीम	20.00	21.27	1.27

58.	लालबकिया, कमला, बागमती तथा खाण्डो नदियों पर तटबन्धों का विस्तार	60.00	46.00	-14.00
	ईआर स्कन्ध-जारी	902.00	1178.19	276.19
	दसवीं योजना की नई स्कीमें			
59.	मोकामा ताल क्षेत्र सहित देश में जल निकास का सुधार	50.00	50.00	0.00
60.	तटीय तथा गंगा बेसिन राज्यों से इतर राज्यों में गंभीर कटाव-विरोधी कार्य	30.00	16.00	-14.00
61.	असम में माजुली द्वीप के लिए नई स्कीम, दिहांग परियोजना आदि	42.00	42.00	0.00
	ईआर स्कन्ध-नया	122.00	108.00	-14.00
	योग-ईआर स्कन्ध	1,024.00	1286.19	262.19
	सीडब्ल्यूसी-एफसी			
	नौवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमें			
62.	ब्रह्मपुत्र तथा बराक बेसिन में एफएफ तथा एचओ नेटवर्क का सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण	14.00	14.00	0.00
63.	भारत और नेपाल की साझा नदियों का एफएफ	3.00	3.00	0.00
64.	तीस्ता हाइडल परियोजना, रंगित एचई परियोजना II तथा IV और मानस-तीस्ता सम्पर्क के लिए जांच	9.00	9.00	0.00
65.	जल-विज्ञान परियोजना	11.00	15.13	4.13
66.	भारत में अंतर्वाह पूर्वानुमान सहित बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना और आधुनिकीकरण	72.00	51.00	-21.00
67.	सीडब्ल्यूसी के गैर-आवासीय/आवासीय/कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए स्कीम	25.00	25.00	0.00
	सीडब्ल्यूसी (बानि)-जारी	134.00	117.13	-16.87
	योग सीडब्ल्यूसी (बानि)	134.00	117.13	-16.87

	योग-बाढ़ नियंत्रण	1,158.00	1403.32	245.32
	योग-आई तथा सीएडी	3450.00	3460.00	10.00
	परिवहन क्षेत्र			
	फरक्का बराज परियोजना			
	नौवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमें			
68.	बाढ़ सुरक्षा, कटाव विरोधी, नदी प्रशिक्षण तथा विशेष मरम्मत के लिए कार्यो सहित एफबी परियोजना	150.00	140.00	-10.00
	एफपीबी जारी	150.00	140.00	-10.00
	दसवीं योजना की नई स्कीमें			
	योग-एफबीपी (परिवहन क्षेत्र)	150.00	140.00	-10.00
	विशिष्ट स्कीमों का सकल योग	3600.00	3600.00	0.00